सेवा की सामान्य शर्तें
(GENERAL CONDITIONS OF SERVICE)

1. संपूर्ण समय शासन के अधीन

जब तक किसी प्रकरण में अन्यथा उपबंधित न हो, शासकीय सेवक का संपूर्ण समय शासन के अधीन है जो उसे भुगतान करता है। सक्षम प्राधिकारी शासकीय सेवक को बगैर अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए किसी भी प्रकार से नियोजित कर सकता है। [मूल नियम 11]

2. धारणाधिकार (लियन)

जब किसी शासकीय सेवक को किसी स्थाई पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाए तब ही वह उस पद पर धारणाधिकार (लियन) प्राप्त करेगा और यदि पूर्व से किसी अन्य पद पर उसका धारणाधिकार है तो वह समाप्त माना जायेगा। [मूल नियम 12-ए]

3. धारणाधिकार कब तक कायम रहेगा

(1) जब तक वह उस पद पर कार्यरत रहे;

(2) विदेश सेवा के दौरान या अस्थाई पद पर नियुक्त होने की अवधि तक या किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रहने के दौरान;

(3) अन्य पद पर स्थानान्तरण होने पर कार्यग्रहण अवधि के दौरान। यदि उसका स्थानान्तरण मौलिक रूप से निचले पद पर किया जाता है तो कार्य मुक्त होने के दिनांक से ही उसका लियन निचले पद पर स्थानान्तरित हो जायेगा;

(4) अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि के पश्चात् स्वीकृत अस्वीकृत अवकाश को छोड़कर, अवकाश काल में;

(5) निलंबन अवधि के दौरान कायम रहेगा। [मूल नियम 13]

4. कम वेतन वाले पद पर स्थानान्तरण

अयोग्यता या कदाचरण के कारण अथवा शासकीय सेवक की लिखित सहमति के सिवाय, किसी भी शासकीय सेवक को एक पद से दूसरे पद पर मौलिक रूप से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है अथवा मूल नियम 49 द्वारा आच्छादित मामले के सिवाय, स्थाई पद के वेतन से कम वेतन वाले पद पर जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा मूल नियम 14 के अधीन उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार कायम रहता, स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया जा सकता है। [मूल नियम 15]

अतः उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि कदाचरण के कारण या उसकी लिखित सहमति पर निचले पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

5. भविष्य निधि की सदस्यता

मूल नियम 16 के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक भविष्य निधि में अभिदान करेगा किन्तु 01-11-2004 को या इसके बाद सेवा में आने वाले व्यक्ति निधि में अभिदान देने के पात्र नहीं हैं।

Scanned with OKEN Scanner

6. अवकाश के कारण पद से अधिकतम अनुपस्थिति

मूल नियम 18 के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक को लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। राज्यपाल ही मामले की परिस्थितियों पर गौर कर अन्यथा निर्णय ले सकते हैं।

7. परिवीक्षा काल की समाप्ति पर कार्यवाही

सीधी भरती से नियुक्त जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखा जाए तो निर्धारित परिवीक्षा काल की समाप्ति पर यदि उसने परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है तथा विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली है तो, उसे स्थाई कर देना चाहिए। यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है तो, उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिये कि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है, जैसे ही कोई स्थाई पद उपलब्ध होगा उसे स्थाई घोषित कर दिया जायेगा। इससे उनको वेतन वृद्धियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। अन्यथा तब तक वेतन वृद्धियां रुकी रहेंगी। यदि किसी को स्थाई भी नहीं किया गया है, तथा उसके पक्ष में ऐसा प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है तो, परिवीक्षा काल की समाप्ति पर उसको अस्थाई नियुक्त मान लिया जाएगा तथा उसकी सेवा **"अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा नियम, 1960"** से शासित होगी।

8. वरिष्ठता का निर्धारण

(1) **सीधी भर्ती/पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता-** (क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पद-ग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उसकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की है।

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी।

(ङ) सीधे भर्ती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया

Scanned with OKEN Scanner

जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

(छ) यदि सीधी भरती पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति से वरिष्ठ माने जायेंगे।

(2) **स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता-** (क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानांतरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिये उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानांतरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरम्भ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियनित किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः उसके संविलियन की तारीख की जावेगी। तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था।

स्पष्टीकरण- तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किये गये अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

(3) **विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता–** (क) ऐसे मामले में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो तथा यह भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिये लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवक की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होतीं।

(ख) ऐसे मामलों में कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिये की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा

Scanned with OKEN Scanner

उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी।

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिये अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो; तथा

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो।

(4) **तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता-** (क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जायेगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी। [नियम 12]

9. शासकीय सेवकों का स्थायीकरण

(अ) सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों के मामले में- जिन व्यक्तियों को विभागीय भरती नियमों के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर स्थायी किया जाना अनिवार्य है। परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर उपयुक्त पाये जाने पर, परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो स्थायीकरण के आदेश निकालना चाहिए। यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं हो तो उसके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और उन्हें स्थाई पद के अभाव में स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके। भविष्य में जैसे ही स्थाई पद उपलब्ध होगा वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जायगा। यह प्रमाण-पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा ही दिया जायगा।

(ब) पूर्व से किसी अन्य पद पर स्थाई शासकीय सेवक के मामले में- कोई व्यक्ति जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाता है तो उस पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यतः दो वर्षों के लिए परीक्षण पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायगा। परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर उसे स्थायी किया जायेगा। परन्तु यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थाई पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा।"

(स) स्थायीकरण के लिए समिति- पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन किया जाता है। इस संबंध में

Scanned with OKEN Scanner

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2501/2190/86 (एक)/1, दिनांक 24-9-86 में निर्देश दिये गये हैं। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए जो लोक सेवा आयोग या विभागीय पदोन्नति में अपनाई जाती है।

(द) गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन- इस संबंध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3/4/83/3/1, दिनांक 2-7-83 में दिये गये हैं। इसके अनुसार स्थाईकरण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरान्त, उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

(इ) लोक सेवा आयोग की सिफारिश कहां आवश्यक है- जो नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिवीक्षा पर की जाती हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी मामलों में लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।

पदोन्नति के मामले में भी जहां आयोग के परामर्श उपरान्त परीक्षण पर रखा गया है, उन्हें छोड़कर, अन्य शेष सभी मामलों में आयोग का परामर्श आवश्यक है।

[सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञाप क्रमांक सी-3-10/93/एक, दिनांक 16-3-93 तथा समय-समय पर जारी परिपत्र]

10. राज्य विभाजन के फलस्वरूप आपसी अदला-बदली के आधार पर केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन में छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकारियों/कर्मचारियों में कुछ अधिकारी/कर्मचारी आपसी अदला-बदली कर छत्तीसगढ़ राज्य आये हैं। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि आपसी अदला-बदली के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो एक ही संवर्ग तथा एक ही विभाग के हों, के छत्तीसगढ़ आने पर उनकी वरिष्ठता मूल संवर्ग में जो वरिष्ठता रही थी उसी अनुसार ही रहेगी, जैसा कि केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन आदेशों के संलग्न सूचियों में भी दर्शायी गई है।

यदि आपसी अदला-बदली अलग-अलग संवर्ग के शासकीय सेवकों की हुई हो तो केन्द्र सरकार के अंतिम रूप से आवंटन आदेश से आये शासकीय सेवकों की नये संवर्ग में वरिष्ठता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (दिनांक 2-4-98 को संशोधित) के नियम 12 अनुसार निर्धारित की जावेगी, अर्थात् इस प्रकार की अदला-बदली से आये शासकीय सेवक नये संवर्ग में दिनांक 1-11-2000 की वरिष्ठता सूची में कनिष्ठतम माने जायेंगे।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-1-3/1-7/2003, दिनांक 1-1-2004]

Scanned with OKEN Scanner

14

पदोन्नति नियम
(PROMOTION RULES)

1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञाप क्रमांक एफ-4-2/2001/1-3, दिनांक 6-9-2003 द्वारा समस्त विभागों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 प्रकाशित होने की सूचना दी गई है। ये नियम दिनांक 3 सितम्बर 2003 के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। संक्षिप्त में नियम आगे दिये गये हैं-

2. इन नियमों के अंतर्गत संवर्ग से आशय सेवा की संख्या या सेवा का भाग, जिसमें अस्थाई तथा स्थाई दोनों प्रकार के पद सम्मिलित हैं। इसमें आकस्मिक श्रमिक, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले तथा दैनिक वेतन पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं।

3. स्थापन से आशय है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कंपनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का, जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नकद अनुदान प्राप्त कर रही है का कोई कार्यालय और इसके अंतर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, किन्तु इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन आने वाले स्थापन सम्मिलित नहीं हैं।

4. पदोन्नति हेतु आधार का अवधारण

(1) चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में एवं द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति **"वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता"** के आधार पर की जाएगी।

(2) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति **"योग्यता-सह-वरिष्ठता"** के आधार पर की जाएगी।

5. पदोन्नति में आरक्षण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिये पदोन्नति में आरक्षण निम्नानुसार होगा-

(एक) जब वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियरटी सबजेक्ट टू फिटनेस) के आधार पर उपयुक्तता

Scanned with OKEN Scanner

सूची बनाई जानी हो-

क्र.		अनुसूचित जाति के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए
1.	द्वितीय श्रेणी के पदों पर, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर, तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति	15 प्रतिशत	23 प्रतिशत
2.	तृतीय श्रेणी के पदों पर अथवा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत तथा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत पदों पर पदोन्नति में	16 प्रतिशत	23 प्रतिशत

(दो) जब योग्यता-सह-वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियरिटी) के आधार पर उपयुक्तता सूची बनाई जाना हो-

क्र.		अनुसूचित जाति के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए
1.	प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति में	15 प्रतिशत	23 प्रतिशत

6. वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति

(1) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति, वरिष्ठ-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी प्रवर्गों के लिए कोई विचारण क्षेत्र नहीं होगा।

(2) पदोन्नति के लिए केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने भरती नियमों के अनुसार फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में विहित अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। तथापि उन समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं होगा, जिन्होंने विहित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, परन्तु केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति-संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस केलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(3) वर्ष, अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्चतर संवर्ग/सेवा के भाग/पदों के उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखकर की जाएगी। एक वर्ष से अधिक अवधि

Scanned with OKEN Scanner

की प्रतिनियुक्ति से उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या की गणना उस रोस्टर के आधार पर की जायेगी, जिसे इन नियमों के नियम 9 के उपबंधों के अनुसार बनाए रखा जाना अपेक्षित है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। यह सबसे पूर्व के वर्ष से प्रारंभ करते हुए आगे प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में पृथक से पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी। विभागीय पदोन्नति समिति पृथक से पूर्व के वर्ष या वर्षों की बिना भरी रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी और संबंधित वर्ष के लिये तदनुसार चयन सूची तैयार करेगी। तत्पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति, चालू वर्ष की विद्यमान एवं प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(5) विभागीय पदोन्नति समिति, लोक सेवकों की पदोन्नति के लिये उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी। तथापि, उन मामलों में, जहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वार्षिक प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी।

(6) जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हों तो विभागीय पदोन्नति समिति, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार करेगी।

(7) इस पद्धति से पदों के भरने के लिये, विभागीय पदोन्नति समिति, प्रत्येक लोक सेवक के मामले पर उसकी स्वयं की योग्यता के आधार पर पृथक-पृथक विचार करेगी, अर्थात् लोक सेवकों की योग्यताओं का कोई तुलनात्मक निर्धारण करना आवश्यक नहीं होगा। विभागीय पदोन्नति समिति प्रत्येक लोक सेवक के अभिलेखों पर पृथक-पृथक विचार करेगी तथा उन्हें **"उपयुक्त"** अथवा **"अनुपयुक्त"** के रूप में वर्गीकृत करेगी।

(8) अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति प्रवर्ग और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये पृथक-पृथक चयन सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसमें ऐसे अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति प्रवर्ग तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के उतनी संख्या में नाम सम्मिलित किये जायेंगे, जो इन प्रवर्गों में से प्रत्येक के लिये आरक्षित पदों की संख्या के बराबर हों। इसके अतिरिक्त दो लोक सेवकों के अथवा चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम भी, उपनियम (2) में यथाविहित प्रत्येक प्रवर्ग की चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

(9) प्रत्येक सूची में सम्मिलित किये गये लोक सेवकों के नाम उनकी वरिष्ठता के उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में वे उस संवर्ग/सेवा के भाग/उस पद के, वेतनमान में विद्यमान हैं जिससे कि उनकी पदोन्नति की जानी है।

(10) इन पृथक-पृथक चयन सूचियों से लोक सेवकों की पदोन्नति फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में उनकी वरिष्ठता के अनुसार तथा रोस्टर में दर्शाये गये विहित क्रम के अनुसार की जाएगी।

(11) तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की, उस संवर्ग/सेवा/सेवा के भाग/उस पद के, जिस पर पदोन्नति की जाना है, वेतनमान में पारस्परिक वरिष्ठता अवधारित करने के लिए, उपरोक्त तीनों प्रवर्गों

Scanned with OKEN Scanner

के लोक सेवकों की एक संयुक्त चयन सूची उसी क्रम में तैयार की जाएगी, जिस क्रम में कि उनके नाम, उस संवर्ग/सेवा के भाग/उस पद के, जिससे कि पदोन्नति की जा रही हो, वेतनमान की वरिष्ठता सूची में हों।

(12) उपर्युक्त संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत लोक सेवकों के नाम, ठीक इसके पूर्ववर्ती वर्ष की संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत अंतिम लोक सेवक के नाम के नीचे एक साथ एनब्लाक रखे जायेंगे।

(13) जो आरक्षित पद भरती नियमों के अनुसार विचार किये जाने की पात्रता रखने वाले समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार कर लेने के बावजूद, उस प्रवर्ग के उपयुक्त लोक सेवकों के, जिनके लिये पद आरक्षित है, उपलब्ध न होने के कारण भरे जाने से रह जायें तो ऐसे पद तब तक अग्रनीत किए जाएंगे, अर्थात् रिक्त रखे जायेंगे, जब तक कि उस आरक्षित प्रवर्ग का उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध न हो जाए। किसी भी परिस्थिति में आरक्षित प्रवर्ग की किसी रिक्ति को किसी अन्य प्रवर्ग के लोक सेवक की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाएगा।

(14) जब कभी पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियां बिना भरी रह गई हों, तब बेकलॉग और/या अग्रनीत रिक्तियां, पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएंगी, जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही हैं। दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उद्भूत हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बेकलॉग/अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होंगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, बैकलॉग की रिक्तियां भरने के लिए छह मास के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति की विशेष बैठक आहूत करेगा और यदि ऐसी रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं तो उन्हें उस प्रवर्ग, जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न लोक सेवकों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।

(15) जब कोई ऐसा लोक सेवक, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नति से इंकार करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकेगा कि उसे पदोन्नत नहीं किया जाए। सुसंगत बातों पर विचार करके ऐसे अनुरोध पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। यदि पदोन्नति से इंकार के लिए प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य हैं, तो चयन सूची में के अगले लोक सेवक को पदोन्नत किया जा सकेगा। तथापि ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जिस पर पैनल की विधिमान्यता की अवधि के दौरान कोई रिक्ति उद्भूत होती है, ऐसे लोक सेवकों को, जो पदोन्नति से प्रारंभिक रूप से इंकार कर चुके हों, नियुक्ति प्रस्तावित करना प्रशासनिक रूप से संभव या वांछनीय नहीं हो, ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति के उद्भूत होने तक, जो भी पश्चातवर्ती हो, पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पारिणामिक पदोन्नति पर, ऐसा लोक सेवक उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नति किए गए उसके कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जाएगा।

उन मामलों में, जहां किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नति के लिए उससे इंकार के लिए प्रस्तुत किए

Scanned with OKEN Scanner

गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों, वहां वह लोक सेवक को पदोन्नति स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा और उस दशा में, जब लोक सेवक पदोन्नत किए जाने के लिए तब भी इंकार करता है, तब उसके आदेश का पालन करने से इंकार के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

7. योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति

(1) जहां योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां की जाना हों, विचारण क्षेत्र अर्थात् फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पात्र लोक सेवकों में से पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले लोक सेवकों की संख्या निम्नानुसार होगी-

वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार किया जाएगा
(1)	(2)
1	5
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16

आगे गणना के लिए फार्मूला यह रहेगा कि प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को दुगुना कर उसमें 4 जोड़ा जाए।

(2) जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवक ऊपर दर्शाये गये अनुसार विचारण क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों, तो रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक विचारण क्षेत्र बढ़ाया जा सकेगा और इस विस्तारित विचारण क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के नामों पर आरक्षित पदों को भरने के लिए विचार किया जाएगा।

(3) पदोन्नति के लिये केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पदोन्नति के लिये भरती नियमों के अनुसार फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो विचारण क्षेत्र के अंतर्गत हों। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के, जो विचारण क्षेत्र में हों, नामों पर विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(4) वर्ष, अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या

Scanned with OKEN Scanner

की गणना विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्च संवर्गों/सेवा के भाग/पदों के उच्च वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखकर की जायेगी। एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या की गणना, उस रोस्टर के आधार पर की जायेगी, जिसे इन नियमों के नियम 9 के उपबंधों के अनुसार बनाए रखा जाना अपेक्षित है।

(5) विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। यह सबसे पूर्व के वर्ष से प्रारंभ करते हुए आगे प्रत्येक पूर्व वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में पृथक से पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी। विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति पृथक से पूर्व के वर्ष या वर्षों की बिना भरी रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी और संबंधित वर्ष के लिये तद्नुसार चयन सूची तैयार करेगी तत्पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति, चालू वर्ष की विद्यमान एवं प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(6) विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति, लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी। तथापि, उन मामलों में, जहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी।

(7) जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हों तो विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार करेगी।

(8) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता के लिये, बैंचमार्क ग्रेड **"बहुत अच्छा"** होगा।

(9) विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति, विचारण क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों की योग्यता का परस्पर तुलनात्मक मूल्यांकन करेगी और उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर लोक सेवकों की योग्यता का समग्र रूप से श्रेणीकरण करेगी और उन्हें उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत एवं घटिया जैसी भी स्थिति हो, के प्रवर्ग में रखेगी। तथापि, केवल उन लोक सेवकों को जिन्हें बहुत अच्छा तथा उससे उच्च में श्रेणीकृत किया गया हो, उत्कृष्ट के रूप में श्रेणीकृत को सबसे ऊपर उसके पश्चात् बहुत अच्छा श्रेणीकृत लोक सेवकों को रखते हुए, रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, समान श्रेणी वाले लोक सेवकों के साथ फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखते हुए चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

(10) अनारक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों तथा अनुसूचित जाति प्रवर्ग और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये पृथक-पृथक चयन सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसमें ऐसे अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति प्रवर्ग तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों की ऐसी संख्या में नाम सम्मिलित किये जायेंगे, जो इन प्रवर्गों में से प्रत्येक के लिये आरक्षित पदों की संख्या के बराबर हैं। इसके अतिरिक्त, दो लोक सेवकों के नाम अथवा चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत के नाम, जो भी अधिक हों, उपनियम (3) में यथा विहित प्रत्येक प्रवर्ग की चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(11) उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पदोन्नति, चयन सूचियों में आने वाले नामों के अनुसार तथा रोस्टर में दर्शाये गये विहित क्रम के अनुसार उक्त चयन सूचियों से की जायेगी। आरक्षित पदों को केवल उसी वर्ग के उन लोक सेवकों द्वारा भरा जाएगा, जिनके लिये पद आरक्षित है।

(12) उस संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में जिसमें पदोन्नति की जाना है, तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की पारस्परिक वरिष्ठता अवधारित करने के लिये, उपरोक्त तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की एक संयुक्त चयन सूची, विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा अवधारित योग्यता के क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी।

(13) उपर्युक्त संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत लोक सेवकों के नाम, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत अंतिम लोक सेवक के नाम के नीचे एक साथ (एनब्लाक) रखे जायेंगे।

(14) जहां विचारण क्षेत्र में अपेक्षित **"बैंचमार्क श्रेणी"** के लोक सेवक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, वहां अपेक्षित बेंचमार्क के लोक सेवक पैनल में रखे जाएंगे और भरी नहीं गयी रिक्तियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, मूल विचारण क्षेत्र से परे अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों पर विचार करके विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति की नई बैठक आयोजित करेगा।

(15) जो आरक्षित पद भरती नियमों के अनुसार विचार किये जाने की पात्रता रखने वाले समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार कर लेने के बावजूद, उस प्रवर्ग के उपयुक्त लोक सेवकों के, जिनके लिये पद आरक्षित हैं, उपलब्ध न होने के कारण भरे जाने से रह जायें तो ऐसा पद तब तक अग्रनीत किया जाएगा, अर्थात् रिक्त रखा जाएगा, जब तक कि उस अपेक्षित प्रवर्ग का उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध न हो जाए। किसी भी परिस्थिति में आरक्षित प्रवर्ग की किसी रिक्ति को किसी अन्य प्रवर्ग के लोक सेवक की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाएगा।

(16) जब कभी पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियां बिना भरी रह गई हों तब बैकलॉग और/या अग्रनीत रिक्तियां, पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएंगी, जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही हैं। दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उद्भूत हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बेकलॉग/अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होंगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, बैकलॉग की रिक्तियां भरने के लिए छह मास के अंदर विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की विशेष बैठक आहूत करेगा और यदि ऐसी रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं तो उन्हें उस प्रवर्ग, जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न लोक सेवकों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।

(17) जब कोई ऐसा लोक सेवक, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नति से इंकार करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकेगा कि उसे पदोन्नत नहीं किया जाए। सुसंगत बातों पर विचार करके ऐसे अनुरोध पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। यदि पदोन्नति से इंकार के लिए प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य हैं, तो चयन सूची में के अगले

Scanned with OKEN Scanner

लोक सेवक को पदोन्नत किया जा सकेगा। तथापि ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जिस पर पैनल की विधिमान्यता की अवधि के दौरान कोई रिक्ति उद्‌भूत होती है, ऐसे लोक सेवकों को, जो पदोन्नति से प्रारंभिक रूप से इंकार कर चुके हों, नियुक्ति प्रस्तावित करना प्रशासनिक रूप से संभव या वांछनीय नहीं हो, ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति के उद्‌भूत होने तक, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पारिणामिक पदोन्नति पर, ऐसा लोक सेवक उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नत किए गए उसके कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जाएगा :

उन मामलों में, जहां किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नति के लिए उसके इंकार के लिये प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों, वहां वह लोक सेवक को पदोन्नति स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा और उस दशा में, जब लोक सेवक पदोन्नत किए जाने के लिए तब भी इंकार करता है, तब उसके आदेश का पालन करने के इंकार के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

8. मूल्यांकन के मानकों को कम करना

सरकार, आदेश द्वारा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के पक्ष में, राज्य के कार्यकलापों से सम्बद्ध सेवाओं या पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों पर पदोन्नति के मामलों में मूल्यांकन के मानकों को कम करने का उपबंध कर सकेगी।

9. रोस्टर

(एक) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सदैव, पदोन्नति से भरे जाने वाले संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान के संबंध में, इन नियमों से संलग्न अनुसूचित जाति प्रवर्ग की बैकलॉग की रिक्तियों के लिए अनुसूची-1 में अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की बैकलॉग की रिक्तियों के लिये अनुसूची-2 में और सुसंगत वर्ष की विद्यमान रिक्तियों के लिये अनुसूची-3 एवं 4 में दर्शाये अनुसार विहित प्ररूप में रोस्टर संधारित किया जायेगा। प्रत्येक ऐसे संवर्ग/सेवा का भाग/पद के वेतनमान के लिये पृथक-पृथक रोस्टर संधारित किये जायेंगे।

(दो) कोई पदोन्नति करने के पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी सदैव, रोस्टर से सुनिश्चित करेगा कि रिक्ति आरक्षित है अथवा अनारक्षित है और यदि आरक्षित है तो यह किसके लिए आरक्षित है। पदोन्नति के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोस्टर में उसकी विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी तथा हस्ताक्षरं किये जायेंगे।

(तीन) रोस्टर वर्षानुवर्ष का एक चालू लेखा है तथा तद्‌नुसार संधारित किया जायेगा। यदि पदोन्नति किसी विशिष्ट वर्ष में चक्र के किसी विशिष्ट बिन्दु पर रुकती है, यथा 5वें बिन्दु पर, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष में पदोन्नति अगले बिन्दु यथा 6वें बिन्दु से प्रारंभ होगी।

10. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

Scanned with OKEN Scanner

11. पदोन्नति/छानबीन समिति में प्रतिनिधित्व

यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी ।

12. आयोग से परामर्श

विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है ।

13. भरती नियमों में संशोधन

राज्य लोक सेवाओं एवं पदों के लिये भरती को विनियमित करने वाले सभी नियम, इन नियमों में यथा उपबंधित सीमा तक संशोधित किये गये समझे जाएंगे ।

अनुसूची-1

(देखिये नियम 9)

अनुसूचित जातियों की बैकलॉग रिक्तियों के लिये रोस्टर

1. कार्यालय का नाम
2. संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का वेतनमान

वर्ष	वर्ष की बैकलॉग रिक्तियों की कुल संख्या	रोस्टर के बिन्दु क्रमांक, जो नहीं भरे जा सके	बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये गये अनुसूचित जातियों के लोक सेवकों के नाम	पदोन्नति आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	नियुक्ति प्राधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची-2

(देखिये नियम 9)

अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियों के लिये रोस्टर

1. कार्यालय का नाम
2. संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का वेतनमान

वर्ष	वर्ष की बैकलॉग रिक्तियों की कुल संख्या	रोस्टर के बिन्दु क्रमांक, जो नहीं भरे जा सके	बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये गये अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के नाम	पदोन्नति आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	नियुक्ति प्राधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसूची-3

(देखिये नियम 9)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए माडल रोस्टर
प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पदों के लिए

1. कार्यालय का नाम
2. संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का नाम तथा वेतनमान
3. पदोन्नति की प्रक्रिया (वरिष्ठता सह उपयुक्तता/योग्यता सह वरिष्ठता)
   (जो लागू न हो उसे काट दें)

अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति 23 प्रतिशत

रोस्टर बिन्दु	अनारक्षित/ आरक्षित	अग्रनीत किए जाने या भरे जाने का वर्ष	शासकीय सेवक का जिसके द्वारा पद भरा गया, नाम एवं जाति	क्या यह आरक्षित प्रवर्ग का है	आदेश क्रमांक तथा तारीख	नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1. अनारक्षित
2. अनारक्षित
3. अनुसूचित जाति
4. अनारक्षित
5. अनारक्षित
6. अनुसूचित जाति
7. अनारक्षित
8. अनुसूचित जनजाति
9. अनारक्षित
10. अनुसूचित जनजाति
11. अनारक्षित
12. अनारक्षित
13. अनुसूचित जाति
14. अनारक्षित
15. अनारक्षित
16. अनुसूचित जनजाति
17. अनारक्षित
18. अनुसूचित जाति
19. अनारक्षित
20. अनारक्षित

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.	अनुसूचित जनजाति						
22.	अनारक्षित						
23.	अनारक्षित						
24.	अनारक्षित						
25.	अनुसूचित जनजाति						
26.	अनुसूचित जाति						
27.	अनारक्षित						
28.	अनारक्षित						
29.	अनारक्षित						
30.	अनारक्षित						
31.	अनुसूचित जनजाति						
32.	अनारक्षित						
33.	अनारक्षित						
34.	अनुसूचित जाति						
35.	अनारक्षित						
36.	अनुसूचित जनजाति						
37.	अनारक्षित						
38.	अनारक्षित						
39.	अनुसूचित जनजाति						
40.	अनारक्षित						
41.	अनुसूचित जाति						
42.	अनारक्षित						
43.	अनारक्षित						
44.	अनुसूचित जनजाति						
45.	अनारक्षित						
46.	अनुसूचित जनजाति						
47.	अनारक्षित						
48.	अनारक्षित						
49.	अनुसूचित जाति						
50.	अनारक्षित						
51.	अनुसूचित जनजाति						
52.	अनारक्षित						
53.	अनारक्षित						

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
54.	अनुसूचित जाति						
55.	अनारक्षित						
56.	अनारक्षित						
57.	अनुसूचित जनजाति						
58.	अनारक्षित						
59.	अनुसूचित जाति						
60.	अनारक्षित						
61.	अनारक्षित						
62.	अनुसूचित जनजाति						
63.	अनारक्षित						
64.	अनुसूचित जाति						
65.	अनारक्षित						
66.	अनारक्षित						
67.	अनुसूचित जनजाति						
68.	अनारक्षित						
69.	अनुसूचित जाति						
70.	अनारक्षित						
71.	अनारक्षित						
72.	अनुसूचित जनजाति						
73.	अनारक्षित						
74.	अनारक्षित						
75.	अनुसूचित जाति						
76.	अनारक्षित						
77.	अनुसूचित जनजाति						
78.	अनारक्षित						
79.	अनारक्षित						
80.	अनुसूचित जाति						
81.	अनारक्षित						
82.	अनुसूचित जनजाति						
83.	अनारक्षित						
84.	अनारक्षित						
85.	अनुसूचित जनजाति						
86.	अनारक्षित						

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

87. अनुसूचित जाति
88. अनारक्षित
89. अनारक्षित
90. अनुसूचित जनजाति
91. अनारक्षित
92. अनारक्षित
93. अनुसूचित जनजाति
94. अनारक्षित
95. अनुसूचित जाति
96. अनारक्षित
97. अनारक्षित
98. अनुसूचित जनजाति
99. अनारक्षित
100. अनुसूचित जनजाति

अनुसूची-4

(देखिये नियम 9)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए माडल रोस्टर

तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए

1. कार्यालय का नाम
2. संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का नाम तथा वेतनमान
3. पदोन्नति की प्रक्रिया (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता)

अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति 23 प्रतिशत

रोस्टर बिन्दु	अनारक्षित/ आरक्षित	अग्रनीत किए जाने या भरे जाने का वर्ष	शासकीय सेवक का जिसके द्वारा पद भरा गया, नाम एवं जाति	क्या वह आरक्षित प्रवर्ग का है	आदेश क्रमांक तथा तारीख	नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1. अनारक्षित
2. अनारक्षित
3. अनुसूचित जनजाति
4. अनारक्षित

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	अनारक्षित						
6.	अनुसूचित जाति						
7.	अनारक्षित						
8.	अनुसूचित जनजाति						
9.	अनारक्षित						
10.	अनुसूचित जनजाति						
11.	अनारक्षित						
12.	अनारक्षित						
13.	अनुसूचित जाति						
14.	अनारक्षित						
15.	अनारक्षित						
16.	अनुसूचित जनजाति						
17.	अनारक्षित						
18.	अनुसूचित जाति						
19.	अनारक्षित						
20.	अनारक्षित						
21.	अनुसूचित जनजाति						
22.	अनारक्षित						
23.	अनारक्षित						
24.	अनुसूचित जाति						
25.	अनुसूचित जनजाति						
26.	अनारक्षित						
27.	अनारक्षित						
28.	अनारक्षित						
29.	अनुसूचित जाति						
30.	अनारक्षित						
31.	अनुसूचित जनजाति						
32.	अनारक्षित						
33.	अनारक्षित						
34.	अनुसूचित जाति						
35.	अनारक्षित						
36.	अनुसूचित जनजाति						
37.	अनारक्षित						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

38. अनारक्षित
39. अनुसूचित जनजाति
40. अनारक्षित
41. अनुसूचित जाति
42. अनारक्षित
43. अनारक्षित
44. अनुसूचित जनजाति
45. अनारक्षित
46. अनुसूचित जनजाति
47. अनारक्षित
48. अनारक्षित
49. अनुसूचित जाति
50. अनारक्षित
51. अनुसूचित जनजाति
52. अनारक्षित
53. अनारक्षित
54. अनुसूचित जाति
55. अनारक्षित
56. अनारक्षित
57. अनुसूचित जनजाति
58. अनारक्षित
59. अनुसूचित जाति
60. अनारक्षित
61. अनारक्षित
62. अनुसूचित जनजाति
63. अनारक्षित
64. अनुसूचित जाति
65. अनारक्षित
66. अनारक्षित
67. अनुसूचित जनजाति
68. अनारक्षित
69. अनुसूचित जाति
70. अनारक्षित

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
71.	अनारक्षित						
72.	अनुसूचित जनजाति						
73.	अनारक्षित						
74.	अनारक्षित						
75.	अनुसूचित जाति						
76.	अनारक्षित						
77.	अनुसूचित जनजाति						
78.	अनारक्षित						
79.	अनारक्षित						
80.	अनुसूचित जाति						
81.	अनारक्षित						
82.	अनुसूचित जनजाति						
83.	अनारक्षित						
84.	अनारक्षित						
85.	अनुसूचित जनजाति						
86.	अनारक्षित						
87.	अनुसूचित जाति						
88.	अनारक्षित						
89.	अनारक्षित						
90.	अनुसूचित जनजाति						
91.	अनारक्षित						
92.	अनारक्षित						
93.	अनुसूचित जनजाति						
94.	अनारक्षित						
95.	अनुसूचित जाति						
96.	अनारक्षित						
97.	अनारक्षित						
98.	अनुसूचित जनजाति						
99.	अनारक्षित						
100.	अनुसूचित जनजाति						

Scanned with OKEN Scanner

पिछड़ों के लिए छूट एवं सुविधाएं (REMISSION AND FACILITIES TO BACKWARD CLASSES)

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिये

(1) शासकीय सेवा में भरती के लिये निर्धारित उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ- 3-3-74-3 एक, दिनांक 16-3-74]

(2) शुल्कों में छूट—

(क) प्रार्थना-पत्र शुल्क;

(ख) पंजीकरण शुल्क;

(ग) परीक्षा शुल्क।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 6678-सी-आर-740-एक (3), दिनांक 19-8-58]

(3) जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये कोर्ट फी स्टाम्प की छूट।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1086-सी-आर-169-एक (3), दिनांक 27-5-63]

(4) शपथ-पत्र पर स्टाम्प शुल्क में छूट।

(5) साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने पर मार्ग व्यय पाने की पात्रता।

(6) साक्षात्कार या परीक्षा में 10 प्रतिशत अंकों की छूट।

(7) राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवा हेतु आवेदन-पत्र सीधे भेज सकते हैं।

2. पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों के लिये यात्रा व्यय की सुविधा

जिस प्रकार वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2030/चार/नि-2, दिनांक 22-6-63 सहपठित ज्ञापन क्रमांक 750/1166/चार/नि-1, दिनांक 10-6-76 के अनुसार अनु. जाति/अनु. जनजाति के प्रत्याशियों को सरकारी नौकरी के लिये विज्ञापित पदों की परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार के लिये यात्रा व्यय की सुविधा दी गई है, उसी प्रकार की सुविधाएं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को भी दिये जाने के आदेश हैं।

[वित्त विभाग क्रमांक डी-129/285/94/नि-1/चार, दिनांक 8-4-94]

3. सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिये परीक्षा शुल्क से छूट

राज्य शासन के आदेशानुसार शासकीय सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भरती से नियुक्ति हेतु परीक्षार्थियों से लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क से छूट प्रदान की गई है। इस निर्णय के फलस्वरूप अब किसी भी परीक्षार्थी को विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक 3-26/90/3/49, दिनांक 5-9-1990]

Scanned with OKEN Scanner

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क

(1) ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक/अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 60,965/- है तथा जिन्हें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता है, उनसे शासन द्वारा घोषित स्वशासी इंजीनियरिंग कालेजों, व्यक्तिगत स्वशासी इंजीनियरिंग तथा निजी क्षेत्र के कालेजों की प्री सीट पर प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थियों द्वारा देय राशि की प्रतिपूर्ति संस्था को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है, यदि वे शासन द्वारा स्वशासी घोषित संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं, तो उनसे अनारक्षित श्रेणी के छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों का केवल 20 प्रतिशत अथवा रु. 5000/- (रु. पाँच हजार) की राशि में से जो भी कम हो, शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इस शुल्क का भुगतान संबंधित छात्र-छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्था को किया जाएगा।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क

ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से रुपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) प्रतिवर्ष से अधिक न हो, उनके द्वारा देय सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। शेष अन्य विद्यार्थियों की संस्थाओं में वही शिक्षण शुल्क देय होगा जो अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित है।

[छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, रायपुर आदेश क्र. 182/489/तशि/2001, दिनांक 7-7-2001]

Scanned with OKEN Scanner